<u>न्यायालय - विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 47/2021

(सी.आई.एस.नं.-47/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- कोमल सोनी पुत्र जगदीश चन्द, उम्र 25 वर्ष, निवासी जैन मन्दिर के पास रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला-झालावाड़ (राज.)

2- विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण, उम्र 23 वर्ष, निवासी रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) - (मफरूर) – अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री रमेशचन्द कश्यप व श्री भगवान दास, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 17.03.2026**

नोटः- प्रकरण में अभियुक्त **विनोद** पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी रायपुर अभी **मफरूर** है तथा प्रकरण में शेष अभियुक्त कोमल सोनी के संबंध में निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 11.07.2020 को परिवादी/मजरूब पूनमचन्द पुत्र हेमराज, उम्र 24 वर्ष, निवासी छोटी रायपुर द्वारा जैर इलाज चौकी एस.आर.जी.एच., झालावाड़ पर दी गयी तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1), पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ पर इस आशय के तथ्यों की प्राप्त हुई कि वह गांव छोटी रायपुर थाना कोतवाली झालावाड़ का रहने वाला है। दिनांक 10.07.2020 को रात्रि के करीब 9-10 बजे की बात है। वह घर से उसके बाड़े में जानवरों को चारा डालने गया था व चारा डालकर उसके घर जा रहा था, जैसे ही वह प्रेमचन्द मेघवाल के घर के बाहर रोड़ पर पहुंचा कि कोमल पुत्र जगदीश सोनी बड़ी रायपुर व विनोद मेघवाल व राजकुमार मिले। उसने विनोद से कहा कैसे आये हो तो विनोद ने कहा कि लवड़े तु कौन होता है मेरे से पूछने वाला। इसी बात को लेकर वह जाने लगा तो उसे आड़े फिर कर विनोद, कोमल व राजकुमार ने रोक लिया। विनोद के हाथ में लकड़ी थी, उसके पास की लकड़ी की

उसके बांये हाथ के पंजे पर मारी व राजकुमार के पास भी लकड़ी थी, उसके पास की लकड़ी की दांये हाथ के पंजे पर मारी व कोमल के हाथ में पत्थर था, उसके पास के पत्थर की हाथ से पकड़कर उसके बांये आंख के उपर मारी, उसके खून निकल आया। वह चिल्लाया तो उसकी मम्मी न्योदान बाई व रामपाल भील दौड़ कर आये, जिन्होंने बीच-बचाव किया व घटना देखी है। वो लोग वहां से मारपीट करके भाग गये। उसे उसकी माँ व रामपाल भील सरकारी अस्पताल झालावाड़ ले-कर आये व ईलाज करवाया, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-435/2020, अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 23.02.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323, 504 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- विचारण के दौरान अभियुक्त **विनोद** पुत्र लक्ष्मीनारायण, उम्र 23 वर्ष, निवासी रायपुर के न्यायालय से अनुपस्थित होने पर उसके जमानत मुचलके जब्त सरकार किये गये तथा अभियुक्त के लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहने से उसे मफरूर घोषित किया गया, जो वर्तमान में मफरूर है।

4- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 11.11.2021 को अभियुक्त कोमल सोनी को धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 पूनमचन्द, पी.ड.-2 हेमराज, पी.ड.-3 डॉ. अश्विन कुमार, पी.ड.-4 सोजीलाल, पी.ड.-5 प्रेमचन्द, पी.ड.-6 अनोखबाई, पी.ड.-7 सोनाबाई, पी.ड.-8 न्योदियान बाई व पी.ड.-9 रामपाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-2, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-3, चोट प्रतिवेदन मजरूब पूनमचन्द प्रदर्श पी.-4, मुलजिम कोमल कुमार का नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-5, फर्द चैक लिस्ट मुलजिम प्रदर्श पी.-6, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी.-7,

पुलिस बयान प्रेमचन्द प्रदर्श पी.-8, पुलिस बयान अनोखबाई प्रदर्श पी.-9, पुलिस बयान सोनाबाई प्रदर्श पी.-10 व पुलिस बयान रामपाल प्रदर्श पी.-11 को प्रदर्शित करवाया।

6- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किये जाने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

7- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

8- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी/मजरूब पूनमचन्द के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भिन्न कथन अपने सशपथ बयानों में किये है। प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी.ड.-5 प्रेमचन्द, पी.ड.-6 अनोखबाई, पी.ड.-7 सोनाबाई व पी.ड.-9 रामपाल पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा गवाह पी.ड.-2 हेमराज व पी.ड.-8 न्योदियान बाई परिवादी के पिता व माता होकर हितबद्ध साक्षीगण है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गवाह पी.ड.-3 डॉ. अश्विन कुमार ने चोटें कोई व्यक्ति नशे में होने से नाली में गिर जाता है, तो यह सभी चोटें आने की संभावना व्यक्ति की है। गवाह पी.ड.-4 सोजीलाल अनुसंधान अधिकारी है, जिसने उसके द्वारा किये गये अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2020 को रात के करीब 9.00 बजे अथवा इसके लगभग मौजा छोटी रायपुर स्थित प्रेमचन्द मेघवाल के घर के बाहर रोड़ पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी/मजरूब पूनमचन्द के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे राह जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे इच्छित दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में जाने का उसे विधिक अधिकार था तथा परिवादी पूनमचन्द के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार लकड़ी व पत्थर इत्यादि से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी की लोक शांति भंग करने के आशय से उसके साथ गाली-गलौच कर उसे अपमानित व प्रकोपित किया तथा परिवादी पूनमचन्द के जाति से मेघवाल होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ उक्त आपराधिक कृत्य किये ?''

11- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 09 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 पूनमचन्द स्वयं परिवादी/मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4 साल पहले शाम के सात-साढ़े सात बजे की बात है। वह अपने प्लॉट पर गायों को चारा डालने गया था। रास्ते में बैठकर कोमल सोनी, विनोद व राहुल शराब पी रहे थे। उसने इनसे-पूछा कि यहां बैठकर शराब क्यों पी रहे हो। उनके यहां बहन बैटी रहती है, तो उन्होंने उससे बदतमीजी से बात की, उसके साथ गाली-गलौच की, उसके पत्थर से मारी, जिससे उसके मुंह और सिर पर चोट आई थी। उनका आपस में लड़ाई-झगड़ा हुआ। फिर वह भग कर उसके घर पर आ गया। उक्त घटना की रिपोर्ट करने वे कोतवाली थाने में गये थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने तहरीरी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया था, जो प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल कराया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि लड़ाई-झगड़ा हुआ तब घटनास्थल पर उसके पिता, उसका छोटा भाई गिरीराज, रामपाल आदि मौजूद थे तथा उसे तीनों

मुलजिमान ने पत्थर व लात-घुसों से मारा था तथा उसका बीच-बचाव उसके पापा, उसकी मम्मी व उसके भाई ने किया था।

12- गवाह पी.ड.-2 हेमराज परिवादी/मजरूब का पिता है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पहले शाम के 7-8 बजे की बात है। वह फैक्ट्री पर गया हुआ था। उसके पास उसके मोहल्ले के व्यक्ति का फोन आया कि मोहल्ले में लड़ाई हो गई है। उसने जानकारी की, तो उसे पता चली कि पूनम व विनोद, राजकुमार व कमल की आपस में लड़ाई हो गई है। इन तीनों ने उसके लड़के पूनम के साथ मारपीट की थी। मारपीट से उसके बेटे के सिर व गाल पर चोटें आई थी। फिर वह और उसका बेटा पूनम कोतवाली थाने में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसने कोई लड़ाई-झगड़ा होते हुए नहीं देखा था।

13- गवाह पी.ड.-3 डॉ. अश्विन कुमार चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि आपके विरूद्ध बयान दिया है कि दिनांक 11.07.2020 को थाना कोतवाली के प्रकरण संख्या-435/2020 में फरियादी पूनमचंद पुत्र हेमराज, उम्र 24 वर्ष् का उसके द्वारा मेडिकल मुआयना किया गया था। चोट निम्न प्रकार है- चोट सं.-1 फटा हुआ सिला हुआ घाव बांयी आई ब्रो पर 2 सेमी.। चोट सं.-2 छिला हुआ घाव 2*1 सेमी दांयी ओर चेहरे पर चमकीले लाल रंग का। चोट सं.-3 छिला हुआ घाव 2.5*1 सेमी पीठ पर नीचे की तरफ। उपरोक्त सभी चोट साधारण प्रकृति की थी। जो भोटे हथियार से कारित की गयी थी। चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति नशे में होने से नाली में गिर जाता है, तो ये सभी चोटें आना संभव है।

14- गवाह पी.ड.-4 सोजीलाल अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.07.2020 को वृत्ताधिकारी एस.सी./एस.टी. सैल झालावाड के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड के प्रकरण सं.-435/20, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va), 3-1(r) एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी पूनमचंद, हेमराज, प्रेमचंद, रामपाल, गिर्राज,

न्योदियान बाई, सोना बाई, अनोख बाई, वंदना के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल माल मोजा छोटा रायपुर का नक्शा मौका फरियादी पूनमचंद, रामपाल व हेमराज की निशानदेही से प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर एक्स स्थान पर गवाहान रामपाल व ए से बी पूनमचंद, सी से डी रामपाल व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फरियादी पूनमचंद का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-3 है। मजरूब पूनमचंद का मेडीकल कराकर चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-4 हैं। मुलजिम कोमल कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va), 3-1(r) एस.सी./एस.टी.एक्ट एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. दिया, जो प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम के दो जगह हस्ताक्षर है। फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी योगेश, ई से एफ कमलेश गवाहान व जी से एच मुलजिम हस्ताक्षर व आई से जे गिरफ्तारी की सूचना मनोज को दी, उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर फोटो चस्पा हैं। मुलजिमान का आपराधिक रिकोर्ड लेकर शामिल पत्रावली किया था। बाद अनुसंधान मुलजिम कोमल कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va), 3-1(r) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र थानाधिकारी कोतवाली झालावाड को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि फरियादी व मुलजिम के क्रॉस केस दर्ज हुआ था तथा उसने फरियादी पूमनचन्द के खिलाफ भी पत्रावली पेश की है।

15- गवाह पी.ड.-5 प्रेमचन्द प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। उसके बयान नहीं लिये। उसने किसी के साथ कोई मारपीट होते हुए नहीं देखी और ना ही उसने कोई घटना देखी। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

16- गवाह पी.ड.-6 अनोखबाई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब पांच साल पहले शाम के 6-7 बजे की बात है। वह उसके घर पर थी। उनके घर से बहुत दूर लडाई हो गई थी। किस-किस की लडाई हुई उसे पता नहीं है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की व उसके बयान नहीं लिये व ना ही उसने कोई घटना देखी। उक्त

गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुई है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

17- गवाह पी.ड.-7 सोनाबाई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब पांच साल पहले शाम के 6-7 बजे की बात है। वह उसके गांव छोटी रायपुर थी। पूनमचन्द उसके घर के सामने शराब पीकर उसके देवर के साथ गाली-गलौच कर रहा था। इसके अलावा उसे घटना के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की व उसके बयान नहीं लिये। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

18- गवाह पी.ड.-8 न्योदियान बाई परिवादी की माता है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5 साल पहले शाम के 6-7 बजे की बात है। वह उसके गांव छोटी रायपुर थी। उसके लड़के पूनमचन्द के साथ विनोद, कोमल सोनी ने मारपीट की। फिर वह और रामपाल ने उसके लड़के का बीच-बचाव किया। फिर कोमल सोनी, विनोद मारपीट करके भाग गये। वह उसके लड़के को लेकर घर चली गयी और वहां से उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की व पुलिस वालों ने उसके लड़के का मेडिकल मुआयना करवाया था व चोटों का ईलाज करवाया था। उसके पुलिस ने बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उनके मकान के आस पास बहोत लोगों का मकान है तथा घटना के समय सभी लोग बाहर आ गये थे। आगे स्वीकार किया है कि वह गयी जब किसके साथ किसने गाली-गलौच की यह उसे नहीं पता, आमक झामक होते हुए देखा था।

19- गवाह पी.ड.-9 रामपाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पहले शाम के 7-8 बजे की बात है। वह उसके मकान के सामने चौक में खड़ा था। पूनमचन्द अपने बाड़े की तरफ जा रहा था। तीन लड़कों ने पूनमचन्द के साथ गाली-गलौच व मारपीट की। वह उन तीनों लड़को को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

20- अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-1 पूनमचन्द के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए कहता है कि घटना के समय रास्ते में बैठकर अभियुक्त

कोमल सोनी, विनोद व अन्य शराब पी रहे थे। इसने पूछा कि यहां बैठकर शराब क्यों पी रहे हो। उनके यहां बहन-बेटी रहती है, तो उसने इसके साथ गाली-गलौच की, पत्थर से मारी, जिससे इसके मुंह व सिर पर चोट आई तथा प्रतिपरीक्षा में भी अपनी तहरीरी रिपोर्ट के विरोधाभासी कोई कथन नहीं करता है। तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार मारपीट के समय इसकी माँ व रामपाल भील आये थे, जिन्होंने बीच-बचाव किया व घटना देखी। इसकी माँ न्योदियान बाई पी.ड.-8 के रूप में व रामपाल पी.ड.-9 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनमें से पी.ड.-8 न्योदियान बाई ने अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि अभियुक्तगण कोमल सोनी व मफरूर अभियुक्त विनोद ने इसके लड़के पूनमचन्द के साथ मारपीट की व भाग गये तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करती है कि जब यह गयी तब किसके साथ किसने गाली-गलौच की, इसे नहीं पता, आमक-झामक होते हुए देखा था। वहीं प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पी.ड.-9 रामपाल भी यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है, लेकिन इस बात की ताईद करता है कि यह इसके मकान के सामने चौक में खड़ा था और पूनमचन्द अपने बाड़े की तरफ जा रहा था तथा तीन लड़कों ने पूनमचन्द के साथ गाली-गलौच व मारपीट की। यद्यपि यह गवाह मुलजिमान को नामजद नहीं करता है, लेकिन घटना घटित होने के बारे में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देता है। गवाह पी.ड.-2 हेमराज परिवादी का पिता है, जो यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना के पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देते हुए कहता है कि इसके पास फोन आया था कि मोहल्ले में लड़ाई हो गई है। इसने जानकारी की तो पता चला कि पूनमचन्द व अभियुक्तगण विनोद व कोमल की आपस में लड़ाई हो गई है तथा इसके लड़के पुनमचन्द के साथ मारपीट की गयी है, मारपीट से इसके बेटे के सिर व गाल पर चोटें आई थी। परिवादी के जो चोटें आना अभियोजन गहवान ने बताया है, उसके सन्दर्भ में चिकित्सक साक्षी पी.ड.-3 डॉ. अश्विन कुमार के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो दिनांक 11.07.2020 को मजरूब पूनमचन्द के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना करने पर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-4 में वर्णित अनुसार बांयी आई ब्रो पर फटा हुआ सिला हुआ घाव, दांयी ओर चेहरे पर चमकीले लाल रंग का छिला हुआ घाव व पीठ पर नीचे की तरफ छिला हुआ घाव मौजूद था व चोटें 24 घण्टे के भीतर की थी तथा कुन्दालय हथियार से कारित साधारण प्रकृति की चोटें थी। यद्यपि प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ये चोटें नशे की हालत में नाली में गिरने से आ सकती है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य को देखते हुए ऐसी कोई संभावना सहीं प्रतीत नहीं होती है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-4 सोजीलाल ने यद्यपि अपनी प्रतिपरीक्षा में यह

स्वीकार किया है कि फरियादी व मुलजिमान के मध्य क्रॉस केस दर्ज हुआ था तथा फरियादी पूनमचन्द के खिलाफ भी पत्रावली पेश की थी। अन्य गवाह पी. ड.-5 प्रेमचन्द, पी.ड.-6 अनोखबाई व पी.ड.-7 सोनाबाई यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुए है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य की विवेचना अनुसार परिवादी पी.ड.-1 पूनमचन्द ने अभियुक्त कोमल सोनी द्वारा स्वयं के साथ गाली-गलौच व मारपीट किये जाने के बयान दिये हैं तथा दौराने प्रतिपरीक्षा इस संबंध में खरा उतरा है तथा मौके पर पहुंचे गवाहान के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड.-8 न्योदियान बाई ने भी घटना की ताईद की है कि अभियुक्त द्वारा इसके बेटे पूनमचन्द के साथ मारपीट की तथा पी.ड.-9 रामपाल ने भी यद्यपि अभियुक्त कोमल को नामजद नहीं किया है, लेकिन मारपीट की घटना की ताईद करते हुए परिवादी पूनमचन्द के सम्पुष्टिकारक साक्ष्य देता है तथा चिकित्सक साक्ष्य से भी परिवादी के शरीर पर आयी चोटों की इस हद तक सम्पुष्टि होती है कि परिवादी ने जो चोटें घटना के दौरान स्वयं के आना बतायी है, उसी प्रकृति की चोटें घटना के 24 घण्टे के भीतर परिवादी के शरीर पर मौजूद थी। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्त कोमल सोनी के विरूद्ध धारा 323, 504 भा.दं.सं. का अपराध सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है, जिसके लिये अभियुक्त कोमल सोनी दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

21- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 341 भा.दं.सं. का संबंध है। परिवादी के बयानों से यह जाहिर है कि परिवादी जब गायों को चारा डालने गया था तो रास्ते में अभियुक्त अन्य व्यक्तियों के साथ बैठा था तथा परिवादी ने स्वयं शराब शराब पीने के लिये मना किया था। ऐसी कोई साक्ष्य परिवादी ने नहीं दी है कि वह रास्ते में जा रहा हो और अभियुक्त द्वारा उसे स्वेच्छया सदोष अवरोधित किया हो। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त कोमल सोनी आरोपित अपराध धारा 341 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

22- जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट का संबंध है। परिवादी पी.ड.-1 पूनमचन्द ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त कोमल सोनी बड़ी रायपुर का निवासी है तथा अभियुक्त सहित वहां बैठे व्यक्ति पड़ौसी प्रेमचन्द के यहां आये थे। इस प्रकार जबकि अभियुक्त कोमल अन्य गांव का निवासी है तथा परिवादी के बयानों से भी ऐसा दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त कोमल परिवादी पूनमचन्द के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के तथ्य से परिचित था और ना ही परिवादी ने ऐसे कोई

कथन किये है कि अभियुक्त ने वक्त घटना ऐसा कोई शब्द कहे हो जो उसकी जाति को इंगित करता हो। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त कोमल सोनी आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त कोमल सोनी पुत्र जगदीश चन्द, उम्र 25 वर्ष, निवासी जैन मन्दिर के पास रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 341 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(2) परंतु अभियुक्त कोमल सोनी को धारा 323, 504 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2021 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त वर्ष 2021 से अर्थात् करीब 5 वर्ष से अधिक अवधि की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुका है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि उसकी कोई पूर्व दोषसिद्धि जाहिर नहीं की गयी है। अभियुक्त को अन्य अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए उसे अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त कोमल सोनी पुत्र जगदीश चन्द, उम्र 25 वर्ष, निवासी जैन मन्दिर के पास रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत **10,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एवं इसी राशि की **एक जमानत**, **एक वर्ष** की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 5** के तहत अभियुक्त **1,500/-रुपये** बतौर अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावें, तो उसे इस प्रकरण में सदाचारिता की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे, अन्यथा दण्डादेश सुनाया जावेगा। साथ ही अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत् उपरोक्त दोषसिद्धि के आधार पर पूर्व में या भविष्य में किसी निर्योग्यता/निर्हरता से ग्रसित नहीं होगा।

2- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूब पूनमचन्द को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

3- प्रकरण में अभियुक्त **विनोद** पुत्र लक्ष्मीनारायण, उम्र 23 वर्ष, निवासी रायपुर, पुलिस थाना रायपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) मफरूर है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त की मफरूरी का लालस्याही से नोट अंकित किया जावे तथा पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **17.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

सैशन प्रकरण सं.-47/2021,
राज.राज्य बनाम कोमल सोनी वगैरा
निर्णय दिनांक- 17.03.2026

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.24 16:46:23 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।